तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज मु.नं. 75/2020 सोहनलाल बनाम मनीराम आदि अन्तर्गत धारा 111,128 आरटीए	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18/04/21		

पत्रावली पेश हुई । उभय पक्ष उपस्थित। अवलोकन किया गया । बहस सूनी गई । वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रार्थी के नाम से तहसील लूनकरनसर के राजस्व ग्राम पंचारा उर्फ अमरपुरा के खसरा नम्बर 644 तादादी 15.02 बीघा खसरा नम्बर 645/1 तादादी 9.10 बीघा भूमि कब्जे एवं दखल में निरन्तर चली आ रही हैं। प्रार्थी की उपरोक्त भूमि राजस्व नक्शा में तरमीमशुदा है तथा तरमीम के अनुसार प्रार्थी का कब्जा एवं दखल चला आ रहा हैं। प्रार्थी अपनी भूमि मौजा रोही पंचारा उर्फ अमरपुरा के खसरा नम्बर 644 तादादी 15.02 बीघा खसरा नम्बर 645/1 तादादी 9.10 बीघा भूमि की सीमा पर सीमा चिन्ह स्थापित करवाना चाहता है लेकिन अप्रार्थीगण प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि की सीमा पर पत्थर गढ़ी नहीं करने दे रहे जबकि प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि की सीमा पर पत्थर गढ़ी करवाने के सवैधानिक अधिकार हैं। प्रार्थी की उपरोक्त खातेदारी भूमि के सीमाज्ञान के समय हल्का पटवारी द्वारा प्रार्थ की भूमि की सीमा कायम कर कच्चे चिन्ह लगवाये थे लेकिन अप्रार्थीगण उक्त सीमा चिन्ह पर पुखता चिन्ह नहीं करने दे रहे है । अप्रार्थीगण की भूमि प्रार्थी की खातेदारी भूमि से अलग खसरा नम्बर 886/641, खसरा नम्बर 887/641, खसरा नम्बर 890/643 अर्थात मूल खसरा नम्ब्र 641, 643 में स्थित हैं। अप्रार्थी संख्या 01 व 02 प्रार्थी के उत्तर एवं पश्चिम दिशा के सींव जोड़ काश्तकार है जिसका बैजा फायदा उठाकर अप्रार्थीगण प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 644 व खसरा नम्ब्र 645/1 पर पत्थर गढ़ी नहीं करने दे रहे हैं। अतः वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी की खातेदारी भूमि मौजा रोही पंचारा उर्फ अमरपुरा के खसरा नम्बर 644 तादादी 15.02 बीघा खसरा नम्बर 645/1 तादादी 9.10 बीघा भूमि की सीमा पर पुख्ता सीमा चिन्ह (पत्थर गढ़ी) कायम कराने का आदेश तहसीलदार लूनकरनसर को प्रदान करने का निवेदन किया गया।

वकील अप्रार्थी द्वारा नियमानुसार पत्थर गढ़ी होने पर किसी प्रकार का विरोद्ध प्रकट नहीं किया गया ।

पैरोकार राज द्वारा नियमानुसार पत्थर गढ़ी पर सहमति प्रकट की गई।

हमने बहस का मनन किया प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। संलग्न फर्द मौका अनुसार तहसीलदार (भू.अ.) लूनकरनसर के आदेश दिनांक 22.06.2020 की पालना में पटवार हल्का द्वारा खसरा नम्बर 644 व 645/1 का सीमाज्ञान करने दिनांक 30.06.2020 को मौके पर पहुंच सीमाचिन्ह दिये गये एवं अन्य दस्तावेज नजरी नक्शा, जमाबन्दी खसरा नम्बर 644 , 645/1 तादादी 24.12 बीघा, जमाबन्दी खसरा नम्बर 890/643 तादादी 6.17, जमाबन्दी खसरा नम्बर 887/641 तादादी 24.12 बीघा, जमाबन्दी खसरा नम्बर 886/641 तादादी 24.12 बीघा संवत् 2073–2076 पटवार क्षेत्र ढाणी पाण्डुसर संलग्न हैं। प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन एवं बहस का मनन कर आदेश दिये जाते है कि तहसीलदार(भू.अ.) लूनकरनसर सक्षम न्यायालय का स्थगन न हो तो प्रार्थी की खातेदारी भूमि मौजा रोही पंचारा उर्फ अमरपुरा के खसरा नम्बर 644 तादादी 15.02 बीघा खसरा नम्बर 645/1 तादादी 9.10 बीघा भूमि के सींवजाड़ काश्तकार को सूचित कर सीमाज्ञान अनुसार पत्थरगढ़ी करावे । फैसले की प्रमाणित प्रति तहसीलदार (भू.अ.) लूनकरनसर को पालनार्थ प्रेषित की जावे। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर हस्ब जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

18/4/2021

(भागीरथ शाख)
उपखण्ड अधिकारी
लूनकरनसर

उपखण्ड अधिकारी
लूनकरनसर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Sh
Date: 2021.07.29 11:48:59 IST
Reason: SelfAttested